फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री कालुलाल बनाम श्री छोगालाल

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act पत्रावली संख्या : 57/23 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	दिनांक : 21.06.2023 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र डांगी द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। हमनें अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि **मौजा बजाजनगर पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 4807/4030 रकबा 0.4856 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 4602/4030 रकबा 0.4371 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण आगामी पेशी/जवाब पेश होने तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाए रखे। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।** विपक्षीगण को हुक्म ईमत[illegible] [illegible] मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तक्की [illegible] दिनांक 27.07.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:35:14 IST
Reason: SelfAttested

04/07/2023

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण द्वारा तलबी मय विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश करने पर मूल वाद के साथ तलब की गई। प्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नही चाहने से आज दिनांक को मूल वाद विड्रो किया जा चुका है। अतः मूल वाद विड्रो होने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नही रहती है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

रेखा

सहायक कलेक्टर
'SDO' मावली

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) कार्यालय, मावली, जिला- उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:35:14 IST
Reason: SelfAttested